:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 22/22 निर्णय दिनांकः– 01.04.2022

1. श्री मनोहरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपुत निवासी नोलियावाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

बनाम

1. श्री धुलिया पिता वेलजी यादव जाति यादव निवासी नोलियावाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. श्री महिपालसिंह पिता कुबेरसिंह जाति राजपुत निवासी नोलियावाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चिखली तहसील चिखली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राज. भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री बालगोविंद पाटीदार वकील प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण गांव नोलियावाडा तहसील चिखली क स्थायी निवासी है। वादी खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। यह कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा नोलियावाडा में खाता संख्या 181, खसरा नम्बर 323, 333, 377, 398/1, 400, 882 कुल खेत किता 6 कुल रकबा 1.7718 है होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि वाद कारण वादी अपने कब्जे काश्त की आराजी संख्या 323, 333 खातेदारी आराजी में फसल बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहा था। उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर वादी ने कहा कि वह वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की कोशिश की लेकिन समझने को तैयार नहीं हुए। तथा जबरन वादी वादग्रस्त आराजी को अपनी बना लेने तथा वादी की आराजी सीमा पर पूर्व में किये गये निशानदेही होने के बावजूद प्रतिवादीगण सीमा विवाद कर रहे है तथा वादी की खातेदारी आरजी को अपनी बता रहे है जिससे विवाद बढ रहा है ऐसे में वादी की खातेदारी आराजी की पत्थर गढी का सीमाकित किया जाना आवश्यक है। वादी वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए । वादी की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। जिससे वाद प्रस्तुत कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया जिससे मयाद अवधि में वाद प्रस्तुत है। यह कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी में सीमा में पूर्व में की गई पत्थरों की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर दिया। वादी को बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी में घुस गये। जबकि वादी के कमाई का एकमात्र जरिया कृषि है। ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा वादी का परिवार भुखा मर जाएगा। वादी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद तामील उपस्थित नहीं आये जिस पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुवे बताया कि विवादित आराजी ग्राम नोलियावाडा तहसील चिखली डूंगरपुर स्थित खाता संख्या 181 में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 323, 333, 377, 398/1,400 एवं 882 का रकबा 1.7718 है0 भूमि प्रार्थी के खातेदार अधिकारी की स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी होने से प्रतिवादीगण जबरन झंगडा फंसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भूमि ग्राम नोलियावाडा तहसील चिखली डूंगरपुर स्थित खाता संख्या 181 में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 323, 333 कुल किता 2 रकबा 0.6149 है0 भूमि पर अतिकमण करने वादी से झंगडा फसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से

चिखली जि. डूंगरपुर

अधिकारी निहित है। जिससे लगातार विवाद बढने से वाद कारण लगातार उत्पन्न होने लगा। प्रार्थी की उक्त भूमि की नियमानुसार पत्थरगढी करने के आदेश फरमावे, अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राव नोलियावाडा तहसील चिखली स्थित खाता संख्या 181 में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 323 एवं 333 की प्रमाणित जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी खातेदार दर्ज पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी की उक्त भूमि का पत्थरगढी किये जाने में व्यवधान पैदा करते है, इसलिये एक खातेदार को अपनी काश्त भूमि पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार है। उपरोक्तानुसार विचारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खाता संख्या 181 खसरा नम्बर 323 एवं 333 रकबा कुल 0.6149 हैक्टेयर ग्राम नोलियावाडज्ञ तहसील चिखली की पैमाईश कर उसके अनुसार पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी कार्य हेतु नियमानुसार शुल्क प्रार्थी तहसील चिखली में जमा करावे शुल्क जमा होने पर तहसीलदार चिखली पत्थरगढी कार्य सम्पन्न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली